पर्यावरण विभाग की गतिविधियां

पर्यावरण विभाग, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं की रोकथाम के लिये विभिन्न अधिनियमों को तेजी से लागू कर रहा है उदाहरणतया जल (प्रदूषण रोकथाम एवं निवारक) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं निवारक) अधिनियम 1981 उक्त अधिनियमों को लागू करने के अतिरिक्त प्रदूषण जो कि बायोमैडीकल वेस्ट, हानिकारक वेस्ट, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक का उपयोग आदि से होता है कि रोकथाम के लिये विभिन्न कानूनों को पूरे हरियाणा राज्य में लागू करता है । हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन अधिनियमों व कानूनों को लागू करने की ऐजेन्सी है तथा पर्यावरण विभाग हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली को प्रशासनिक रूप से देखता है ।

20 प्रकार की अधिक प्रदूषण पैदा करने वाली बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाईयों को पर्यावरण की दृष्टि से स्थल उपयुक्ता अनुमति देने के लिये पर्यावरण विभाग के समक्ष राज्य प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है । इस तरह वर्ष 2005–2007 तक इस विभाग में 13 परियोजनाओं को तकनीकी समिति की 50,000/–क्रमशः वर्ष 2005–2006, तथा 2006–07 तथा 200 वर्ष 2005–2006, तथा 2006–07 तथा 2007–08 में खर्च किए गए हैं ।

विशेष पर्यावरण अदालतें फरीदाबाद एवं कुरूक्षेत्र में जल (संरक्षण एवं प्रदूषण रोकथाम) अधिनियम 1974 तथा वायु (संरक्षण एवं प्रदूषण रोकथाम) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन एवं जीवन अधिनियम के अन्तर्गत 2005–06 से दिसम्बर 2007 तक 3089 केसों का निपटान किया गया है ।

पर्यावरण विभाग पर्यावरणीय क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने हेतु कार्यशाला, सैमीनार इत्यादि का आयोजन करता रहता है । वित वर्ष 2005–2006 में रूपये 1.15 लाख खर्च किए गए तथा वर्ष 2006–07 में इस योजना के अन्तर्गत रूपये 1.65 लाख स्वीकृत किए हैं जिसमें से हिसार तथा पंचकुला को रूपये 80,000/–अनुदान राशि कार्यशाला आयोजित करने के लिए दिए गए हैं तथा रूपये 85,000/–विभाग ने स्वयं इस योजना हेतु व्यय किए हैं । वित वर्ष 2007–08 में रूपये 1.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं । इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र में दिनांक 5.6.2007 को मनाया गया जिसमें रूपये सिफारिशों के आधार पर पर्यावरणीय दृष्टि से स्थल उपयुक्ता के लिये अनुमोदन दिया है ।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 7.5.1992 की अधिसूचना के अर्न्तगत राज्य सरकार को गुड़गांव जिलें के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करने तथा सिफारिश करने के लिये शक्तियां प्रदान की हैं । विशेष समिति ने अब तक 34 बैठकों में 85 परियोजनाओं को मंजूरी दी है । वर्ष 2005–2007 तक 4 परियोजनाओं को विशेष समिति ने मंजूरी दी है । राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कौर योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 2005–06 में 2850 ईको क्लब स्थापित किए गए थे । जोकि वित वर्ष 2006–07 में बढ़कर 5000 हो गए हैं । वर्ष 2006–07 में तीन दिवसीय चेतना कैम्प राजकीय हाई स्कूल, सकेतड़ी जिला पंचकुला में बच्चों को ईको क्लब द्वारा जागरूकता हेतु आयोजित किया गया था । इस तरह राज्य में पर्यावरण के संरक्षण एवं निर्वाण हेतु ईको क्लब को प्रभावी बनाने के लिए दो दिवसीय मास्टर ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्य हेतु रूपये 40,000/–,रूपये 9,000/–तथा रूपये 25,000/– के हिसाब से क्षेत्रीय अधिकारी, हिसार, पानीपत तथा फरीदाबाद को ट्रेनिंग के लिए प्रदान किए गए हैं ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उद्योगों द्वारा उत्पन्न हानिकार अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान हेतु गांव पाली, जिला फरीदाबाद में हानिकारक अपशिष्ट डिस्पोजल स्थान विकसित किया है । शहरी विकास, हरियाणा को रूपये 2.00 लाख अनुदान राशि घर–घर से कूड़ा–कर्कट एकत्रित करने के लिए वित्त वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में प्रदान की गई है । वित्त वर्ष 2007–08 में विभाग ने गांव दुराला, जिला कुरूक्षेत्र को रूपये 1.25 लाख का अनुदान गांव के तालाब को प्रदूषण मुक्त करवाने हेतु दिए गए हैं ।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन स्कीम के अन्तर्गत विभाग ने वर्ष 2005–06 में राज्य में स्थापित स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट पर अध्ययन मुख्य पर्यावरण शिक्षा खालया कालेज, यमुना नगर द्वारा करवाया है । इस कार्य के लिये 1,40,000/– रूपये की अनुदान राशि भी कालेसर जंगल में विभिन्न भूमि उपयोग एवं ईको विशेषताएं अध्ययन के लिये कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान के मुख्य को वर्ष 2006–07 में दिया गया है । वर्ष 2007–08 में रूपये 1,25,000/– की अनुदान राशि गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय को राज्य में ईट भटठा ईकाईयों को स्थापित करने के लिए इकाई के स्थान से दूरी अध्ययन करवाने हेतु दी गई है ।

पानीपत शहर की विभिन्न रंगाई की इकाईयां जो कि रिहायशी व बिना अनुमोदित क्षेत्रों में कार्यरत हैं को पानीपत के सैक्टर–29, भाग–II में पुनः स्थापित किया जा रहा है । संयुक्त जल संशोधित संयन्त्र के निर्माण को मिलाकर इस पूरी योजना की कुल लागत 47.00 करोड़ के लगभग है और भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय उ़द्योग विभाग के द्वारा इस कार्य योजना के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 20. 00 करोड़ की ग्रांट उपलब्ध करवाने के लिए मांग की है । इस विभाग ने रूपये 50.10 लाख की राशि अनुदान के रू॰ में इस संशोधित संयन्त्र के निर्माण हेतु दी गई जोकि जनवरी, 2008 में पूरी होनी है ।

पर्यावरण विभाग ने प्रशासनिक अमला कालेज, हैदराबाद की देखरेख में राज्य की पहली पर्यावरणीय रिपोर्ट बनाई है । इस रिपोर्ट का मुख्य उददेश्य आने वाले वर्षो में पर्यावरणीय योजना बनाने में सहायता प्रदान करना है ।

फरीदाबाद जिले की एमबियंट ऐयर क्वालिटी के एक्शन प्लान के लागू करने के उपरान्त मोनिटरिंग करना तथा इस विषय पर विभिन्न विभागों की आपसी तालमेल को सुनिश्चत करने के लिए पर्यावरण विभाग ने मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में संबंधित विभागों तथा एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि फरीदाबाद की एमबियंट ऐयर क्वालिटी का एक्शन प्लान जोकि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाया गया, को प्रभावी ढंग से लागू करें ।

विभाग ने तीन नई स्कीमों की शुरूआत 11 वीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012 में (1) हरियाणा राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना (2) घग्गर एवं मारकण्डा एक्शन प्लान (3) गुड़गांव में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थन की स्थापना की है । जिसके लिए विभाग ने रूपये 5.00 करोड., रूपये 20.00 लाख तथा रूपये 3.00 करोड., क्रमशः का बजट प्रस्ताव हेतु भेजा गया था तथा चालू वित्त वर्ष 2007–2008 में रूपये 25,000/– रूपये 25,000/–तथा रूपये 50,000/– क्रमश टोकन राशि के रूप में स्वीकृत किये गये हैं ।